

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत पवन कुमार पिता विजय प्रसाद निवासी ग्राम: आरा थाना: बालूमाथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा और सराधू, थाना सं: 27, 28 और 29, ग्राम: कुंडी (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं. 250, 290 और 295, खाता सं. 29 के अधीन प्लॉट सं. 146, 147, 167, 220, 283, 298 और 316, ग्राम: देवलगड़ा (रैयती) खाता सं. 21 के अधीन प्लॉट सं. 71, 178, 183 और 193, खाता सं. 4 के अधीन प्लॉट सं. 48, 52, 73, 135, 141, 167, 204, 209, 206, 232 और 205, ग्राम: सराधू, (रैयती) खाता सं. 51 के अधीन प्लॉट सं. 475 और 474, खाता सं. 254 के अधीन प्लॉट सं. 676, 683, 685, 687, 692, 694, 700, 1723, 1724, 698/1725, 1730, 667, 672, 674, 675 और 677, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम कुंडी, देवलगड़ा और सराधू, थाना सं: 27, 28 और 29, ग्राम: कुंडी (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं. 250, 290 और 295, खाता सं. 29 के अधीन प्लॉट सं. 146, 147, 167, 220, 283, 298 और 316, ग्राम: देवलगड़ा (रैयती) खाता सं. 21 के अधीन प्लॉट सं. 71, 178, 183 और 193, खाता सं. 4 के अधीन प्लॉट सं. 48, 52, 73, 135, 141, 167, 204, 209, 206, 232 और 205, ग्राम: सराधू, (रैयती) खाता सं. 51 के अधीन प्लॉट सं. 475 और 474, खाता सं. 254 के अधीन प्लॉट सं. 676, 683, 685, 687, 692, 694, 700, 1723, 1724, 698/1725, 1730, 667, 672, 674, 675 और 677, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत पवन कुमार पिता विजय प्रसाद, ग्राम: आरा थाना: बालूमाथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Gimr
05/05/18